संख्या-154/2019/2717/22-2-2019-17(261)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2019***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी जनपद-कासगंज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30094/प्रोबे0अनु0(2)-208/सला0समिति/(एम-19-09-2019) दिनांक 30-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी-मो0 बदरिया, थाना-सोरों, जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज का रहने वाला है। बंदी का महिपाल के परिवार से झगडा लड़ाई चला आ रहा था। विवाद बढ़ने के कारण दिनांक 24.01.1991 की रात्रि 08:30 बजे बंदी अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक महिला सहित 02 व्यक्तियों की छूरा चाकू मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-52/1991 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूं के आदेश दिनांक 03.09.1994 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.08.1998 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.08.2019 तक 24 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 06 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 09.08.2019 तक बन्दी की आयु 49 वर्ष लगभग है। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिससे सम्पूर्ण समाज प्रभावित हुआ है, बंदी के कारागार से मुक्त होने की दशा में पुन: अपराध किये जाने से इंकार न होने, बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बदायूं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 06.12.2017 के अनुसार दोषसिद्ध बंदी इस्लाम के संबंध में कोई अभिमत दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने, सम्पूर्ण समाज के प्रभावित होने, बंदी के कारागार से मुक्त होने पर पुन: अपराध किये जाने से इंकार न किये जाने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ने तथा घटना की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति ठीक न होने, बंदी द्वारा 01 महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या किये जाने का विस्तृत उल्लेख जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय द्वारा निहित 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। पीठासीन अधिकारी, बदॉयू द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु अस्पष्ट अभिमत दिया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र अली मोहम्मद को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी इस्लाम (बन्दी संख्या-14788) पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी जनपद-कासगंज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-154/2019/2717(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।